भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 847
जिसका उत्तर शुक्रवार, 26 जुलाई, 2024 को दिया जाना है

पैरालीगल स्वयंसेवक

847. श्री दुष्यंत सिंह :

डॉ. रानी श्रीकुमार :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजस्थान सहित राज्य-वार पैरालीगल स्वयंसेवकों की आवश्यकता का प्रतिनिधित्व करने और उनके संबंधित क्षेत्राधिकार में कानूनी मदद और सहायता प्रदान करने के लिए उनके प्रशिक्षण की दिशा में कोई कदम उठा रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार विधिक सेवा प्राधिकरणों के साथ मिलकर पैरालीगल स्वयंसेवकों को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य कर रही है, क्योंकि वे समाज के वंचित और कमजोर लोगों को साक्षर करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : पैरा-विधिक स्वयं सेवक स्कीम, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उन स्वयं सेवकों को विधिक परीक्षण देने के उद्देश्य से, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से चयनित हुए हैं, वर्ष 2009 में पुरःस्थापित की गई थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विधिक सहायता लोगों के सभी वर्गों में पहुंच रही है जिससे न्याय तक पहुंच सुनिश्चित हो जाए । उक्त स्कीम 2017 में पुनरीक्षित हुई थी तथा 'पैरा-विधिक स्वयं सेवक स्कीम (पुनरीक्षित)' के रूप में पुनः नामित की गई थी । पैरा-विधिक स्वयं सेवकों (पीएलवी) से, सामान्य नागरिकों और विधिक सेवा संस्थाओं के बीच की खाई को भरते हुए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने में, मध्यवर्ती के रूप में कार्य करना प्रत्याशित है ।

पीएलवी की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, विशेषकर उनके कौशल और प्रतिनिधित्व को, एनएएलएसए ने "पैरा-विधिक स्वयं सेवक प्रशिक्षण मापदंड" अर्थात एक विस्तृत प्रशिक्षण मापदंड तैयार किया है, जो पीएलवी के प्रशिक्षण के लिए सभी आवश्यक पहलूओं को पूरा करता है । यह मापदंड पीएलवी को, न्याय के सांविधानिक दृष्टिकोण, अपराधिक विधि, श्रम विधि, किशोरों के लिए विधि तथा महिला और वरिष्ठ नागरिकों संरक्षण के लिए विधि, के आधार पर सूचित और संवेदनशील बनाने के लिए आशयित है । यह कार्यवाही के ज्ञान के साथ-साथ सामाजिक संवेदनशीलता, बर्ताव का कोमल कौशल

और संसूचना का कौशल, जो विविध जनसंख्या के साथ व्यौहार के लिए आवश्यक है, पर बल अधिकथित करता है ।

अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के पर्यवेक्षण के अधीन पीएलवी सामान्य स्थानों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं । किसी भी समय पर प्रशिक्षण प्रोग्राम में प्रशिक्षित किए जाने वाले पीएलवी की संख्या 50 से अधिक नहीं होती है । अभिविन्यास तथा प्रवेश प्रशिक्षण के अतिरिक्त, पीएलवी को आवधिक पुनश्चर्या प्रशिक्षण भी उपबंधित किया गया है, जिससे कि समय-समय पर उनके कौशल में वृद्धि हो सके । विधिक सेवा प्राधिकरण आवधिक तौर पर पीएलवी के कार्य को निर्धारित करता है और उन्हें कमियां पहचानने में और क्षेत्र में समस्याओं का सामना करने में सहायता करता है । डीएलएसए उनकी शंकाओं का समाधान करता है और मापदंड के अनुसार उनके ज्ञान के अर्जन और कौशल के उन्नयन को सुकर बनाता है । पीएलवी की अनुकरणीय सेवाओं को मान्यता दी गई है तथा फायदाग्राहियों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने के लिए पुरस्कृत किया गया है ।

वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 (मई 2024 तक) के दौरान, विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसके अंतर्गत राजस्थान भी है, द्वारा पीएलवी के लिए संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाला कथन, उपाबंध-क पर है ।

उपाबंध-क

श्री दुष्यंत सिंह और डॉ. रानी श्रीकुमार, सांसद-पैरा विधिक स्वयं सेवकों से संबंधित लोकसभा के अतारांकित प्रश्न सं. 847 जिसका उत्तर 26.07.2024 को दिया जाना है के लिए निर्दिष्ट कथन ।

वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 (तक 2024 मई) के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पीएलवी के लिए संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाला कथन ।

क्र.सं.	**एसएलएसए का नाम**	पीएलवी के लिए संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	
		2023-24	**2024-25 (**मई तक 2024**)**
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0
2	आंध्र प्रदेश	37	0
3	अरूणाचल प्रदेश	7	0
4	असम	38	3
5	बिहार	95	6
6	चंडीगढ़	7	1
7	छत्तीसगढ़	253	38
8	दादरा और नागर हवेली	0	0
9	दमण और दीव	0	0
10	दिल्ली	39	6
11	गोवा	2	1
12	गुजरात	22	9
13	हरियाणा	268	45
14	हिमाचल प्रदेश	74	16
15	जम्मू - कश्मीर	19	0
16	झारखंड	182	33
17	कर्नाटक	58	3
18	केरल	9	3
19	लद्दाख	2	0
20	लक्षद्वीप	0	0
21	मध्य प्रदेश	145	0
22	महाराष्ट्र	126	38
23	मणिपुर	18	1
24	मेघालय	4	6
25	मिजोरम	9	0
26	नागालैंड	1	0
27	ओडिशा	53	23
28	पुडुचेरी	3	1
29	पंजाब	226	37
30	**राजस्थान**	**47**	**14**
31	सिक्किम	18	2
32	तमिलनाडु	63	14
33	तेलंगाना	19	3
34	त्रिपुरा	10	1
35	उत्तर प्रदेश	8	6
36	उत्तराखंड	42	3
37	पश्चिमी बंगाल	79	19
	कुल	**1983**	**332**

****